अतारांकित प्रश्न संख्या ...349 दिनांक 27.03.2018

प्रश्नकर्ता श्री सोमनाथ भारती विधायक

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि

प्रश्न संख्या	प्रश्न	उत्तर
क.	प्रश्नकर्ता से संबंधित ग्रांटेड/पेंडिंग/रीविजेटिड प्रोसीक्यूशन स्वीकृति की सम्पूर्ण फाईल उपलब्ध करायें ;	यह सूचना विभिन्न विभागों से संबंधित है और इसकी सूचना विभिन्न विभागों से उपलब्ध होने के बाद प्रदान की जायेगी ।
ख.	जो भी व्यक्ति विधायक, सांसद, पार्षद, केन्द्र व दिल्ली सरकार में मंत्री हैं या रहे हैं, उनके विरूद्ध ग्रांटेड/पेंडिंग फार कंसीडरेशन/रीकंसीडरेशन प्रोसीक्यूशन स्वीकृति के सभी मामलों का पूरा विवरण उपलब्ध करायें जिसमें नाम, पदनाम, पता, संबंधित राजनीतिक दल, आरोपित अपराध की तिथि, प्रोसीक्यूशन के अनुरोध की तिथि, प्रोसीक्यूशन स्वीकृत ग्राटेंड की तिथि (यदि ग्रांटेड हो) , अपराध का विवरण, एफ आई आर का विवरण (यदि कोई हो) और उस मामले की वर्तमान स्थिति का विवरण क्या है;	
ग.	दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रारम्भ होने से जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालय में स्टेट प्रोसीक्यूशन विभाग में अधिक कुशलता लाने के लिये गृह विभाग ने अब तक क्या उपाय किये हैं व क्या उपाय प्रस्तावित हैं ;	
घ.	जिला न्यायालयों व उच्च न्यायालय में इस समय लंबित मुकदमों का विवरण अदालतवार उपलब्ध करायें ;	
च.	अदालतों को किसी अदालती मामले में औसत निर्णय समय 6 महीने तक का कराने के लिये किन संसाधनों की आवश्यकता होगी ;	
छ.	जिला न्यायालय व उच्च न्यायालय में वर्तमान औसत निर्णय समय क्या है, इसका विवरण अदालतवार व श्रेणीवार जैसे दीवानी,आपराधिक,पारिवारिक,चैकबाउंस, जघन्य अपराध आदि उपलब्ध कराएं;	
ज.	दिल्ली सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर के रूप में अनुबंधित वकीलों का विवरण प्रदान करें जिसमें केस का नाम, स्वीकृती प्रदान करने	सूचना एकत्रित की जा रही है ।

	वाले प्राधिकारी का नाम, वकील का नाम, सरकार से अब तक वसूली गई राशि, फोन नंबर, वकालत का अनुभव, कोर प्रक्टिस एरिया व केस का परिणाम सम्मिलित हो;	
झ.	दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न अदालतों में अनुबंधित आर्गुइंग काउंसिलों का विवरण उपलब्ध कराएं तथा यदि प्रफोमेंस आडिट किया गया हो तो उसकी रिपोर्ट भी बताएं ;	यह सूचना विधि विभाग से मांगी गई है और सूचना उपलब्ध होने पर प्रदान की जायेगी ।
ट.	जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय एवं विभिन्न ट्रायबुनलों में दिल्ली सरकार के पैनल में मौजूद वकीलों का पूर्ण विवरण क्या है ;	
ठ.	पिछले चार साल में सॉलीसिटर जरनल व एडिशनल सॉलीसिटर जनरल व एटार्नी जनरल अर्थात भारत सरकार द्वारा नियुक्त कानूनी अधिकारियों अथवा अन्य किसी कानूनी दिग्गज से दिल्ली सरकार अथवा उपराज्यपाल ने कितनी बार कानूनी सलाह ली है ;	
ड.	उक्त सभी कानूनी सलाहों की प्रतिलिपि तथा इसकी स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी तथा इस पर आय खर्च का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं ;	दिल्ली विधान सभा के नियम संख्या 31 **(xvi)**के अनुसार विधि अधिकारियों द्वारा माननीय उपराज्यपाल को दी गई सलाह के विषय में विधान सभा में प्रश्न पूछना स्वीकार्य नहीं है ।
ढ.	क्या उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से सीधे अथवा दिल्ली सरकार के माध्यम से इस समय दिल्ली में चल रहे सीलिंग के बारे में कोई कानूनी सलाह ली गई है ; और	
ण.	दिल्ली सरकार के इतिहास में माननीय उपराज्यपाल द्वारा कब– कब प्रैस कान्फ्रैंस की गई, इसमें संबंधित मुददा, प्रैस कान्फ्रैंस किये जाने की तिथि अथवा उपराज्यपाल महोदय का नाम का विवरण क्या है ?	दिल्ली विधान सभा के नियम संख्या 29 के अनुसार विधान सभा के प्रश्न, प्रशासन जिसके लिये सरकार जिम्मेदार है, से संबंधित होना चाहिये ।

(ओ.पी.मिश्रा)

for अतिरिक्त सचिव (गृह विभाग),

दिल्ली सरकार

(O.P. MISHRA)
Additional Secretary (Home)
Room No. 509, "C" Wing,
Delhi Secretariat,
I.P. Estate, New Delhi.